पुलिस मुख्यालय,झारखण्ड राँची

Special Auxiliary Police (SAP) के प्रथम एवं द्वितीय वाहिनी मे पूर्व सैनिको के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का विज्ञापन।

विज्ञापन संख्या–01/2019

1 राज्य सरकार के द्वारा विधि–व्यवस्था संधारण एवं नक्सल विरोधी अभियान को गति देने एवं अन्य सुरक्षा संबंधी दायित्वों जैसे राज्य की काराओं की सुरक्षा, औघोगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, थाना/ओ0 पी0 एवं टी0 ओ0 पी0 में प्रयाप्त सशस्त्र बल उपलब्ध कराने आदि के उदेश्य से भूतपूर्व सैनिकों की सेवा अनुबन्ध पर प्राप्त कर बहु उददेशीय Special Auxiliary Police (SAP) कि दो बटालियन गठित किया गया है ।

2. सैप–01 बटालियन टाटीसिलवे,राँची एवं सैप–02, हलुदवानी, जमशेदपुर में विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु पदवार रिक्ति तथा मासिक वेतन की विवरणी निम्न प्रकार हैः–

क्र०सं०	पदनाम	कुल रिक्त	एक मुश्त वेतन प्रतिमाह
1	सुबेदार मेजर	02	25,000 रू0
2	सुबेदार (सामान्य)	03	25,000 रू0
3	नायब सुबेदार (सामान्य)	01	25,000 रू0
4	नायब सुबेदार ((वितन्तु)	03	25,000 रू0
5	हवलदार (सामान्य)	17	20,000 रू0
6	सिपाही (सामान्य)	55	20,000 रू0
7	सिपाही (चालक)	03	20,000 रू0
8	रसोईया	01	20,000 रू0
	कुल योग–	85	

3. प्रत्येक बटालियन के लिए भारतीय थल/जल/वायु सेना से भूतपूर्व सूबेदार मेजर/सुबेदार/नायब सूबेदार/हवलदार/सिपाही/चालक सिपाही एवं रसोईया को दो वर्षो के लिए अनुबंध के आधार पर कार्य पर रखा जायेगा । इन्हें विशेष पुलिस पदाधिकारी (Special Police Officer) के रूप में शक्ति प्रदत होगी ।

4. **झारखण्ड सरकार गृह विभाग अधिसूचना सं0–108 दिनांक–07.06.2008 की कंडिका–4(V), गृह विभाग पत्र संख्या –3813 दिनांक 22.06.2015,गृह विभाग संसोधन संलेख संख्या–1391–राँची दिनांक 09.03.2016 एवं गृह विभाग संसोधन संलेख संख्या–6463–राँची दिनांक 02.12.2016 के अनुसार सेवा संबंधी अनुबन्ध में निम्नलिखित शर्ते होंगी :–**

I. सेवानिवृत्त जे0सी0ओ0, हवलदार एवं सिपाहियों को अनुबंध पर नियुक्ति एक मुश्त मासिक वेतन के आधार पर किया जायेगा।

II. निर्धारित मानदेय में प्रति वर्ष की सेवावधि के उपरान्त सभी सैपकर्मियों को 8 (आठ) प्रति–शत मानदेय स्वतः दे दिया जायेगा ।

III. वर्तमान में दोनों वाहिनियों का कार्यकाल दिनांक 31.05.2022 तक विस्तारीत हैं।

IV. झारखण्ड राज्य के निवासी भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जायेगी ।

V. अनुबंध पर रखे इन भूतपूर्व पदाधिकारियों/कर्मियों को एक वर्ष में केवल 30 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश देय होगा।

VI. यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता सरकारी डियूटी के दौरान नियमानुसार देय होगा।

VII. कर्त्तव्य पालन के क्रम में मृत्यु की परिस्थिति में राज्य के पुलिसकर्मियों को जो अनुग्रह अनुदान देय है वह उन्हें भी देय होगा, परन्तु आश्रित को नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं होगा।

VIII. भूतपूर्व सिपाही एवं हवलदार की उम्र क्रमशः 35–45 वर्ष के बीच होगी तथा जे0सी0ओ0 (सूबेदार मेजर/सूबेदार /नायब सूबेदार) की उम्र 45–55 वर्ष तक होगी। इसमें कम आयु वाले एवं विशेष प्रशिक्षण तथा अनुभव प्राप्त भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

IX. पूर्ण अनुशासन एवं निष्ठा कायम रखना होगा। अनुशासनहीनता एवं कर्त्तव्यहीनता तथा कदाचार एवं चारित्रिक दोष के कारण बिना किसी नोटिस के अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

XI. सेवानिवृत्ति के समय **मेडिकल कैटेगरी– ए/सेप–1;(AYE/SHAPE-1)** होना चाहिए तथा चिकित्सा जाँच में पूरी तरह योग्य पाये जाने पर ही अनुबंध पर लिया जायेगा।

XII. सेवा में योगदान के लिए प्रत्येक भूतपूर्व सैनिक/पदाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा।

XIII. सेवानिवृति के समय आचरण डिस्चार्ज बुक मे (EXEMPLARY OR VERY GOOD) **एकजेम्पलरी या भेरी गुड** दर्शित होना चाहिए।

5. पैरा 02 क्र0स0 01 से 08 तक के उम्मीदवार की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार दिनांक **18/02/2019 को** निर्धारित तिथी को **10.00 बजे पूर्वाहन** से प्रारम्भ कि जायेगी । **स्थान – मुख्यालय, झारखण्ड सशस्त्र पुलिस–01, डोरन्डा, राँची।** इच्छुक उम्मीदवार नियुक्ति बोर्ड के समक्ष उपरोक्त दिन एवं समयानुसार आवेदन प्रपत्र एवं मूल प्रमाण–पत्रों के साथ उपस्थित हो सकते हैं। साक्षातकार एवं चिकित्सकीय जाँच में योग्य पाये जाने पर योगदान के लिए बुलावा पत्र/नियुक्ति पत्र दिया जायेगा। योगदान पर बुलावा पत्र के साथ अपना कपडा/कम्बेट ड्रेस, छोटा विस्तर तथा कम से कम दो माह भोजन के लिए आवश्यक राशि लेते आयेंगे ।

6. अनुबंध पर नियुक्ति हेतु इच्छुक भूतपूर्व सैनिक उपरोक्त तिथियों को **परिशिष्ट 'क'** पर दिये प्रपत्र (आवेदन) को भरकर, चार स्टाम्प साईज फोटो, डिस्चार्ज बुक, पहचान–पत्र, पी0पी0ओ0, कोर्स सर्टिफिकेट का मूल प्रमाण–पत्र के साथ छायाप्रति लेकर आयेंगे। यह प्रपत्र **झारखण्ड पुलिस मुख्यालय के वेबसाइट** **www.jhpolice.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

7. आवेदन प्रपत्र **अध्यक्ष, सैप नियुक्ति बोर्ड, पुलिस महानिरीक्षक, झा0स0पु0, डोरण्डा, राँची** को संबोधित होगा।

14.2.19

पुलिस महानिरीक्षक (अभियान),
झारखण्ड, राँची।